Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 25137
Dated 21.11.2014

THE

PARLIAMENTARY DEBATES

(Part I—Questions and Answers)

OFFICIAL REPORT

HOUSE OF THE PEOPLE

Monday, 30th March, 1953

The House met at Two of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

RAILWAY MAGISTRATES

*1066. **Shri M. L. Dwivedi:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the duties of the travelling Magistrates **on Railways**;

(b) whether the office of such Magistrates has been decided to be made permanent; and

(c) whether there is any authority to supervise the work of these Magistrates at their headquarters and during their moving duties?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Railways and Transport (Shri Shahnawaz Khan): (a) The duties of the travelling Magistrates are to hold summary trials of cases of ticketless travelling, travelling on foot-boards, unauthorised vending, hawking or begging in trains or at railway stations, and similar offences under the purview of the Indian Railways Act.

(b) No.

(c) The judicial part of the work of these Magistrates is supervised by the District Magistrates of the district concerned. Their tour programme, however, is made in consultation with the railway authorities.

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी शिकायतें क्या आई हैं कि जो ट्रेवेलिंग मैजिस्ट्रेट्स

ड्यूटी पर होते हैं वह अपना दौरा तो गाड़ियों पर शो करते हैं लेकिन दूसरी जगह चले जाते हैं?

श्री शाहनवाज खां : मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है अगर आनरेबल मेम्बर के पास ऐसी कोई इतला हो और वह मुझ को दे दें तो मैं मुनासिब कार्रवाई करूंगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि जो पैसेन्जर्स टिकट ले कर नहीं चलते हैं और रास्ते में पकड़े जाते हैं तो वह पैनल्टी के साथ अपना किराया देने के लिये तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी मैजिस्ट्रेट अपने केसेज़ को बढ़ाने के लिये उन को पकड़ लेते हैं? इस का क्या कारण है और इस के लिये क्या कोई कार्रवाई की जा रही है?

श्री शाहनवाज खां : इस की भी मेरे पास कोई इतला नहीं है!

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार इस बात पर गौर करेगी और इस के ऊपर तहक़ीक़ात करेगी कि जो लोग टिकट ले कर नहीं चलते और पकड़े जाते हैं उन में से कितने पूरा दाम देने के लिये तैयार होते हैं, इस के फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम करने का कृपा करेगी?

श्री शाहनवाज खां : जो लोग बगैर टिकट सफर करते हैं उन लोगों से पूरे टिकट की कीमत वसूल की जाती है साथ ही उन के ऊपर काफी सख्त जुर्माना भी किया जाता है,

और अगर आनरेबल मेम्बर को उस के आदाद व शुमार की जरूरत हो तो मैं दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं जो, उस की जरूरत नहीं है।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि आवारागर्द हैं और इस तरह से घूमते हुये बहुत दफे गिरफ्तार भी हो चुके हैं?

श्री शाहनवाज खां : हिन्दुस्तान में कितने आवारागर्द हैं इस की तादाद कैसे बतलाई जा सकती है।

डा० सुरेश चन्द्र : हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं, ऐसे अवारागर्द जो कि रेलवे में चलते हैं उन का सवाल है।

श्री शाहनवाज खां : रेलवे में कोई आवारागर्द नहीं है।

Shri T. K. Chaudhuri: May I know whether it is a part of the duty of these magistrates to prevent beggary and unauthorized hawking in running trains?

Shri Shahnawaz Khan: It is part of the duty of these magistrates and very strenuous efforts have been made by these magistrates to put a stop to unauthorized vending and child begging. It is a very difficult problem and we are finding out ways in consultation with the State Governments to tackle it.

Shrimati A. Kale: May I know how much loss is sustained by the Railways as a rsult of this ticketless travel?

Mr. Deputy-Speaker: Do we want a discussion?

Shrimati A. Kale: On an average, last year.

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Minister any estimate of the amount lost by the Railways on account of this ticketless travel?

Shri Shahnawaz Khan: I do not have the figures relating to the amount that we have lost on account of ticketless travelling but I have the amount that we have obtained through these sources.

Shri C. R. Chowdary: May I know to whom these travelling magistrates are subordinate administratively and judicially?

Mr. Deputy-Speaker: To the District Magistrates.

Shri C. R. Chowdary: How is it determined?

The Minister of Railways and Transport (Shri L. B. Shastri): All are subordinate to the District Magistrate.

श्री एम० एल० द्विवेदी: अभी माननीय मंत्री महोदय ने मेरे दोस्त सहगल साहब के सवाल के उत्तर में एक बयान देने की कोशिश की थी, आप कृपा कर के आज्ञा दे दें कि वह उसे फिर से बतला दें।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं जी, काफी है।

श्री सैयद अहमद : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सच है कि टिकट कलेक्टर लोग बगैर टिकट लोगों को पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम को कमेशन दे कर छोड़ देंगे ? मान लीजिये कि चार्ज बीस रुपये है तो कहते हैं कि चार रुपये ले कर छोड़ देंगे।

Mr. Deputy-Speaker: These are all suggestions for action. Are hon. Members interested in ticketless travel? I have allowed sufficient number of questions.

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि क्या वह उस बयान को टेबल पर रखने की कोशिश करेंगे ?

Mr. Deputy-Speaker: Next question.

The Minister of Defence Organisation (Shri Tyagi): The hon. Member himself says that he was travelling without a ticket.

Mr. Deputy-Speaker: He is giving information and not putting the question.

Shri Syed Ahmed: I co-travelled with him without a ticket.